उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 530 – विनियम एवं काविनी–29/पाकालि / 2018 – 68 – विनियम / 15 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018

विषय :- टी0जी0-2 पदों पर सीधी भर्ती / प्रोन्नति तथा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त टी0जी0-2 कार्मिकों की अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रकिया।

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल–47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 25.09.2018 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में **सीधी भर्ती / प्रोन्नति तथा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त टी0जी0-2** कार्मिकों की अवर अभियन्ता पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया को एतदद्वारा निम्नानुसार प्राविधानित किया जाता है :-

I – उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं विभिन्न वितरण कम्पनियों में आमेलित हो चुके टी0जी0–II की, ***''संयुक्त वरिष्ठता सूची''*** के आधार पर, अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में 100 अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

(क)	**हाई स्कूल**	**30 अंक**
(ख)	**आई0टी0आई0 / उच्च तकनीकी योग्यता** ***(आई0टी0आई0 के स्थान पर डिप्लोमा / डिग्री)***	**35 अंक**
(ग)	**अनुभव *(प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये 01 अंक)***	**35 अंक**

II – प्रोन्नति हेतु पात्रता :-

टी0जी0-2 पदों पर सीधी भर्ती / प्रोन्नति तथा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त –

(क) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद पर स्थायी घोषित हो।

(ख) कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड–2) के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो।

(ग) न्यूनतम डिप्लोमाधारी / डिग्रीधारी तकनीशियन (ग्रेड–2), जो पद पर स्थायी घोषित हो चुके हों, के लिये 8.33 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष की होगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि :-

(1) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण–पत्र एवं फ्रेन्चाइजी संस्थानो द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा / डिग्री मान्य नही होंगे।

(2) गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा / डिग्री मान्य नही होंगे।

(3) जानपद मण्डल / खण्ड में कार्यरत् कार्मिकों (टी0जी0–2), जिनकी शैक्षिक योग्यता जानपद विधा की होगी, को उपरोक्त के आधार पर अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति जानपद संवर्ग में की जायेगी एवं अन्य विधा के कार्मिकों को ई0 एण्ड एम0 संवर्ग में प्रोन्नत किया जायेगा। इस प्रकार उक्त प्रोन्नति के लिये अवर अभियन्ता (जानपद) / अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) का चयन उनकी रिक्तियों के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) सेवा विनियमावली–1972 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी।

III – उक्त चयन हेतु टी0जी0–II पद की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाये जाने के लिये कारपोरेशन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि अद्यतन प्रचलित मार्गदर्शिका में संशोधन / नवीनतम मार्गदर्शिका बना सकें।

(क्रमशः....... 2)

IV – उपरोक्त आदेशित व्यवस्था, कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0 135–विनियम एवं काविनी/पाकालि/17–68–विनियम/15 दिनांक 05.09.2017 एवं सपठित आदेश सं0 139–विनियम एवं काविनी/पाकालि/17–68–विनियम/15 दिनांक 07.09.2017 में उल्लिखित टी0जी0–2 कार्मिकों की अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अवक्रमित करते हुए, निर्गमन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

2. कार्यालय ज्ञाप सं0 135–विनियम एवं काविनी/पाकालि/17–68–विनियम/15 दिनांक 05.09.2017 में टी0जी0–2 कार्मिकों की अवर अभियन्ता के पद पर विभागीय प्रोन्नति/चयन के सम्बन्ध में अवक्रमित किये गये नियमों के अतिरिक्त उल्लिखित अन्य प्राविधान (टी0जी0–2 के पद पर सीधी भर्ती की व्यवस्था) यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं0 530–(I)–विनियम एवं का0वि0नी0–29/पाकालि/18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
6- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
7- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
11- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
12- संयुक्त सचिव (अराजपत्रित), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके कारपोरेशनादेश सं0 3611–अरा0–09(ब)/पाकालि/08–93–अरा0(ब)/07 दिनांक 25.11.2008 के सन्दर्भ में।
13- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
15- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
16- उप सचिव (सचि0प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 25.09.2018 को परिचालन विधि से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
19- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
20- जन सम्पर्क/विज्ञापन अधिकारी, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उक्त विनियमावली समाचार पत्रों (कम से कम एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी भाषा में) में **अधिसूचित** कराये जाने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट) 3/x/18

अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)